न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर०ए०एस

मुकदमा नं0 70 / 2022

1. लाला पुत्र जोधा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र जोधा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर
3. जयनारायण पुत्र जोधा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर
4. चन्दाराम पुत्र सुवालाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. अंकिता पुत्री रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
2. अनिता पुत्री रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
3. कैलाशचंद पुत्र सादया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
4. केसरी पत्नि रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
5. गिरधारी पुत्र बालूराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
6. गोपाल लाल पुत्र सादया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
7. चौथू पुत्र झूज्या जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
8. जगदीश पुत्र किशना जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
9. दीक्षा पुत्री रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
10. पंकज पुत्र बालूराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
11. प्रभुदयाल पुत्र सादया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
12. ममता पुत्री रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
13. राजेश पुत्र सादया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
14. रामकुवर पुत्र किशना जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
15. लोकेश पुत्र रामलाल जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।

अप्रार्थीगण

16. कैलाशचंद पुत्र श्यामा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
17. केसरमल पुत्र भुरा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
18. कालूराम पुत्र जोधाराम–फौत
   18 / 1 किशोर पुत्र कालूराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
   18 / 2 शोभागमल पुत्र कालूराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
   18 / 3 संज्या देवी पत्नि कालूराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
19. गोकुल पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
20. गोपाल लाल पुत्र छोटू जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
21. जयनारायण पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
22. नारायण पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
23. पन्नाराम पुत्र भैरिया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
24. पांचूलाल पुत्र भैरिया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
25. बाबूलाल पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर –फौत
26. बिरदा पुत्र ईसरा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
27. [illegible]दीदेवी पत्नि छोटू जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
28. मदन पुत्र छोटू जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
29. राजेश कुमार पुत्र छोटू जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
30. रामेश्वरलाल पुत्र ईसरा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
31. लक्ष्मण पुत्र जोधा जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
32. लक्खा पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।
33. विजय कुमार पुत्र कानाराम जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

34\. श्रवणलाल पुत्र भैरिया जाति यादव निवासी बासडी कलां तह0 जोबनेर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1\. श्री रामसिंह वकील प्रार्थीगण
2\. श्री दिव्यराजवीर वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :— 28.08.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 बांके ग्राम बासडी कलां तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। आ.0ख0नं0 23/2.76 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से अपनी कब्जे काप्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 पर आने जाने के लिए काफी अर्से से आ0ख0न0 23/2.76 में से रास्तें का उपयोग करते आ रहे थे। वर्तमान मे उक्त रास्तें को खातेदारो द्वारा बंद कर दिया गया है जिसके कारण अब कोई रास्ता नहीं रहा है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने कृषि उपकरण लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तल्फी है एवं प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत आ0ख0न0 23/2.76 में लगभग 10 फुट चौडा चालू रास्ता को रास्ता कायम करा पाने के अधिकारी है। अतः आ0ख0न0 23/2.76 में लगभग 10 फुट चौडा चालू रास्ता को रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थीगण की आराजी के संबंध मे विभाजन का एक वाद न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन है। इसलिए रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने का रास्ता खं0न0 27 में से रहा है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 34 ने आपत्ति इस आशय की पेश कि है कि आ0ख0न0 23/2.76 में हम सह खातेदार है। हमारे मध्य आपसी विवाद चल रहा है। इसलिए रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 20.06.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 में आ.0ख0नं0 23/2.76 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण के पास ख0न0 27 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु वह राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थीगण के लिए आ.0ख0नं0 23/2.76 में से ही निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 23/2.76 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई 152 मीटर एवं चौडाई 10 फुट है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.0463 है0 है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो की उपरिथति में तैयार की गई है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 बांके ग्राम बासडी कलां तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। आ.0ख0नं0 23/2.76

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के जमाने से अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 पर आने जाने के लिए काफी अर्से से आ0ख0न0 23/2.76 में से रास्तें का उपयोग करते आ रहे थे। वर्तमान मे उक्त रास्तें को खातेदारो द्वारा बंद कर दिया गया है जिसके कारण अब कोई रास्ता नहीं रहा है। ख0न0 27 में पूर्व मे चालू वैकल्पिक रास्ता को दीवार चिनाई कर बंद कर दिया गया है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता चालू नही है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.04.23, 19.04.23, 25.05.23, 27.06.23, 24.07.23 तथा 10.08.23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान को अवगत करा दिया गया था। तहसीलदार जोबनेर ने भी रास्तें को चालू कराने के काफी प्रयास किए गए। जो कि दिनांक 13.04.2023, 10.08.2023 तथा 22.08.2023 के मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित है।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की आराजी के संबंध मे विभाजन का एक वाद न्यायालय श्रीमान् में विचाराधीन है। इसलिए रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने का रास्ता ख0न0 27 में से रहा है। प्रार्थीगण के सह खातेदार ने भी रास्ता देने पर आपत्ति प्रकट की है। इसलिए प्रार्थीगण को रास्ता नहीं दिया जावें।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 में आ.0ख0नं0 23/2.76 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के पास ख0न0 27 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु वह राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थीगण के लिए आ.0ख0नं0 23/2.76 में से ही निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 23/2.76 में से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई 152 मीटर एवं चौडाई 10 फुट है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.0463 है0 है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 23/2.76 से ही उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है।

जहां तक अप्रार्थीगण की आपत्ति का प्रश्न है। अप्रार्थीगण की आराजी के संबंध मे विभाजन का एक वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। परन्तु यह वाद इस प्रार्थना पत्र के बाद प्रस्तुत किया गया है। उस वाद मे प्रतिवादीगण ने वादी के दावे को स्वीकार करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। जिससे दोनो पक्षकार की दूरभिसंधि प्रकट होती है। उस वाद पत्र में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही है। अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 34 की आपत्ति का भी कोई औचित्य नही है क्योकि यह खातेदार प्रार्थीगण के सह खातेदार है। तथा अन्य सहखातेदारों को रास्ते की आवश्यकता नही है। परन्तु प्रार्थीगण के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता चालू नहीं रहा है। ख0न0 27 में पूर्व मे चालू वैकल्पिक रास्ता को दीवार चिनाई कर बंद कर दिया गया है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार जोबनेर दिनांक के मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 13.04.2023, 10.08.2023 तथा 22.08.2023 से बखूबी प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज योग्य है। तथा प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 25/2.09 तक आराजी खसरा नम्बर 23/2.76 में से होकर 10 फुट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर प्रार्थीगण से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर खातेदारान को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 20.06.2023 की रिपोर्ट एवं मौका

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2023 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)